सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बलवीर सिंह बनाम हड़मान सिंह

11-618

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 20-12-2016 के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-12-2016 जिसके माध्यम से वादगत् भूमि चक 4 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 95/30 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 19, 21 ता 25 की 18 बीघा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया था, उक्त आवंटन आदेश को स्वयं अपने आदेश क्रमांक एसडीओ/छत्तरगढ़/आवंटन/2017/942 दिनांक 03-04-2017 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत उक्त अपील निष्प्रभावी होने के कारण इस अपील में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने भी अपीलांट के कथन का समर्थन करते हुए व्यक्त किया गया है चूंकि अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20-12-2016 को अदालत मातहत द्वारा स्वमेव दिनांक 03-04-17 को निरस्त करते हुए वादगत् भूमि चक 4 डीएलएसएम के मुरब्बा नम्बर 95/30 के किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 19, 21 ता 25 की 18 बीघा भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया है। लिहाजा इस अपील का अस्तित्व समाप्त हो गया है। अतः अपीलांट की अपील निष्प्रभावी होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 20-12-2016 के विरूद्व उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों के अवलोकन से यह स्थिति सामने आई है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ द्वारा स्वयं अपने आदेश क्रमांक 942 दिनांक

03–04–2017 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2016 को निरस्त करते हुए रेस्पोडेन्ट के आवंटन को निरस्त किया जा चुका है।

लिहाजा चूंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2016 स्वयं अदालत मातहत द्वारा दिनांक 03–04–2017 निरस्त किया जा चुका है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील निष्प्रभावी धोषित करते हुए खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।